

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| (i) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन। | (ii) मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड। |
| (iii) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। | (vi) समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड। |
| (v) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० (उपनल), देहरादून। | |

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक 22 जुलाई, 2016

विषय:-उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण लि० (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को प्रोत्साहन भत्ता।

महोदय,

शासनादेश संख्या-636 / XVII-5 / 16-09(17) / 2004 TC-1 दिनांक 17.06.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण लि० (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों के संबंध में उक्त शासनादेश दिनांक 17.06.2016 को निरस्त करते हुए श्री राज्यपाल उन्हें पूर्व से अनुमन्य मानदेय के अतिरिक्त त्रैमासिक आधार पर अतिरिक्त धनराशि के रूप में प्रोत्साहन भत्ता निम्नवत् अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

| क्रमांक संख्या | देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि |
|--|---------------------------------|
| कार्मिकों को देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि | रु० 2800 प्रतिमाह |
| सर्विस चार्ज 2.5 प्रतिशत | रु० 70 |
| योग | रु० 2870 |
| सर्विस टैक्स 15 प्रतिशत | रु० 430 |
| मुख्य नियोक्ता द्वारा कुल देय राशि | रु० 3300 |

3. ये आदेश दिनांक 17.06.2016 की तिथि से ही प्रभावी होंगे।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-840/XXVII(1)/2016, दिनांक 22 जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या — (1)/XVII-5/16-09(26)/2014-TC: तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह राणा)
उप सचिव।